CNR NO-UPBP040039252022

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलरामपुर
मुकदमा संख्या–602106/2022
राज्य प्रति मेराजुल हक आदि

मु0अ0सं0–02/2022
धारा–302, 120बी भा0द0सं0
थाना–तुलसीपुर
जनपद–बलरामपुर

सत्र सुपुर्दगी आदेश

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण मेराजुल हक, रिजवान जहीर, महफूज खां, रमीज व शकील जरिये वी0सी0 जिला कारागार बलरामपुर से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है तथा अभियुक्ता जेबा रिजवान के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्ता जेबा रिजवान की हाजिरी माफी प्रस्तुत की गयी, जो केवल आज के लिए स्वीकृत है।

प्रस्तुत प्रकरण में थाना–तुलसीपुर जनपद–बलरामपुर की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–02/2022 धारा–302, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के विचारण हेतु अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–207 के प्रावधानों के तहत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें दी जा चुकी है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध दाखिल आरोपपत्र के अनुसार उक्त मामला अनन्य रुप से माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः इस प्रकरण को विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय को सत्र सुपुर्द किया जाता है।

अभियुक्ता जेबा रिजवान इस मामले में जमानत पर है। शेष अभियुक्तगण अभिरक्षा में है।

इस प्रकरण की सत्र सुपुर्दगी की सूचना जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), बलरामपुर को अविलम्ब भेजी जाय तथा कलैण्डर यथाशीघ्र तैयार किया जाकर इस प्रकरण की पत्रावली को विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय, बलरामपुर के समक्ष अविलम्ब प्रेषित की जाये।

अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय सत्र न्यायालय, बलरामपुर के समक्ष दिनांक 07.07.2022 को उपस्थित हो।

दिनांक–30.06.2022

(रत्नेश दीप कमल आनन्द)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलरामपुर
जे0 ओ0 कोड–1787

Digitally signed by RATNESH DEEP KAMAL ANAND
Date: 2022.06.30 17:18:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court